राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

83वीं बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2022 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1	(क) 81वीं बैठक दिनांक 03.08.22 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) (ख) 82वीं बैठक दिनांक 25.08.22 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR)
एजेण्डा संख्या – 2	रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 3	(क) ऋण योजनायें – एन.पी.ए. की समीक्षा (ख) लम्बित वसूली प्रमाणपत्र (R.C.)
एजेण्डा संख्या – 4	(i) वित्तीय समावेषन : (क) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग (ख) (i) कॉमन सर्विस सेन्टर को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करना (ii) Fair Price Shop को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करना (iii) बैंक सखी को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करना (ग) बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गांव (घ) सामाजिक सुरक्षा योजना (ङ) जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान (च) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (ii) अल्मोड़ा एवं चमोली जिले में षत प्रतिषत डिजीटाईजेषन कार्यक्रम
एजेण्डा संख्या – 5	वर्षिक ऋण योजना 2022–23 एवं प्राथमिक क्षेत्र में ऋण उपलब्धि
एजेण्डा संख्या – 6	ऋण जमा अनुपात
एजेण्डा संख्या – 7	किसानो की आय दोगुना करना : (क) कृषि अवसंरचना निधि (AIF) (ख) किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान (KCC Saturation campaign) (ग) भूलेख पोर्टल (घ) नाबार्ड के कार्य बिन्दु
एजेण्डा संख्या – 8	ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान (RSETIs)
एजेण्डा संख्या – 9	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)
एजेण्डा संख्या – 10	(i) उद्यम रजिस्ट्रेषन (ii) ग्रीन फाईनेन्सिंग
एजेण्डा संख्या – 11	बाजार की बुद्विमत्ता (Market Intelligence)
एजेण्डा संख्या – 12	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

83वीं बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2022 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 :

(क) 81वीं बैठक दिनांक 03.08.22 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट **(ATR)** :

क्र	कार्य बिंदु	कृत कार्यवाही
1.	षासन से संबंधित कार्य बिंदु (क) स्वामित्व कार्ड विषयक निम्नानुसार षासनादेष षासन से अपेक्षित है : **a.** Legal recognition of SVAMITVA card under State Land Revenue Act. **b.** Provision for noting of Charge/Mortgage/ Attachment on the property will be made. **c.** Modalities for creation of mortgage/noting of charge on SVAMITVA card treating these as Title of Property. (कार्यवाही : राजस्व विभाग) (ख) कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर Project Management Unit (PMU) का गठन किया जाना षासन से अपेक्षित है। (कार्यवाही : कृषि विभाग)	(क) एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा Indian Bank Association को इस विषयक पत्र प्रेषित किया गया है। (ख) उक्त विषयक ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में संयुक्त निदेषक, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि माह नवम्बर, 2022 के अंत तक Project Management Unit (PMU) का गठन कर दिया जायेगा।
2.	एस.एल.बी.सी. से संबंधित कार्य बिंदु : जिलेवार लम्बित वसूली प्रमाण पत्रो की सूची षासन को प्रेषित किया जाना।	दिनांक 30.06.22 तक जिलेवार लम्बित वसूली प्रमाण पत्रो की सूची षासन का प्रेषित कर दी गयी है।

(ख) <u>82वीं बैठक दिनांक 25.08.22 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR)</u> :

<table>
<tr><th>क्र</th><th>कार्य बिंदु</th><th>कृत कार्यवाही</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>षासन से संबंधित कार्य बिंदु :
राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग यथा : उद्योग विभाग, कृषि विभाग, पर्यटन विभाग, यू.एस.आर.एल.एम. विभाग, षहरी विकास विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की जानी है।
(कार्यवाही : सम्बन्धित विभाग)</td><td>उक्त विषयक सम्बन्धित विभागों से सूचना प्रतीक्षित है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु :
समस्त बैंक सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे तथा बैंक षाखाओं में लंबित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करेंगे।</td><td>बैंकों द्वारा दिनांक 30.09.22 तक दर्ज प्रगति निम्नवत हैं
<table>
<tr><th>Sr.</th><th>Scheme</th><th>H/Y Target</th><th>R</th><th>S</th><th>D</th><th>Rej.</th><th>P</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PMEGP</td><td>857</td><td>2789</td><td>1143</td><td>448</td><td>970</td><td>676</td></tr>
<tr><td>2</td><td>NRLM</td><td>9000</td><td>14830</td><td>5559</td><td>---</td><td>2371</td><td>6900</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SCP</td><td>553</td><td>870</td><td>383</td><td>361</td><td>45</td><td>442</td></tr>
<tr><td>4</td><td>VCSGSY</td><td>125</td><td>359</td><td>175</td><td>170</td><td>67</td><td>117</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Home Stay</td><td>100</td><td>288</td><td>81</td><td>81</td><td>65</td><td>142</td></tr>
<tr><td>6</td><td>MSY</td><td>3000</td><td>7626</td><td>2592</td><td>1735</td><td>1580</td><td>10323</td></tr>
<tr><td>7</td><td>MSY - Nano</td><td>5000</td><td>3273</td><td>1168</td><td>782</td><td>554</td><td>4120</td></tr>
<tr><td>8</td><td>NULM (I)</td><td>1,000</td><td>896</td><td>610</td><td>--</td><td>--</td><td>3147</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
R = App. Received Rej. = Rejected
S = App. Sanctioned P = Pending
D = App. Disbursed</td></tr>
</table>

<u>81वीं बैठक एवं 82वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि</u> :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 81वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2022 एवं 82वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2022 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित उप–समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान लिया गया है।

उप–समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण निम्नवत है :

1. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2022
   प्रमुख बिन्दु –
   - विभाग, निजी बैंकों को भी Special Component Plan योजना अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे।
2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25 अक्टूबर, 2022
   प्रमुख बिन्दु –
   - स्वंय सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज।
   - Project Management Unit का गठन।
3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर, 2022
   प्रमुख बिन्दु –
   - केन्द्र एवं राज्य सरकार की ऋण योजनाओं में overlapping.
   - MSSY योजना की परियोजना लागत बढाना।

4. Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion / New Branch Opening हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2022

प्रमुख बिन्दु –

- बैंक सखी, कॉमन सर्विस सेन्टर, राषन विक्रेताओं, स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को बी.सी. के कार्य प्रदान किया जाना।
- बैंकों द्वारा नई षाखा खोलने हेतु स्थान का चयन दूर दराज पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

उपरोक्त बैठक के प्रमुख बिन्दुओं की चर्चा एजेण्डा में विस्तार से की गयी है।

5. Steering Sub-Committee की बैठक दिनांक 20 अक्टूबर, 2022

एजेण्डा संख्या – 2 :

रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति **(F.Y. 2022-23)** :

Scheme			**F.Y. 2021-22**					**01.04.22 to 30.09.22**				
			Target	**Received**	**Sanctioned**	**Disbursed**	**Progress %**	**Half Year Target**	**Received**	**Sanctioned**	**Disbursed**	**Progress %**
SCP	SC	1	805	1528	823	779	**102**	443	672	338	318	**76**
	ST	1	100	131	105	100	**105**	50	54	23	21	**46**
	Minority	2	150	178	77	77	**51**	60	144	22	22	**36**
	Total		1,055	1837	1,005	956	**95**	553	870	383	361	**69**
NULM			2,330	3126	1,267	1252	**54**	500	896	610	606	**122**
NRLM		3	10,000	16217	10,312	--	**103**	9000	14830	5559	--	**62**
PM SVANidhi		4	25000	18594	11400	10862	**46**	25000 Total Target	27457	16604	14533	**66**
PMEGP		5	1,714	4780	1,917	1603	**112**	857	2789	1143	448	**133**
			Margin Money Target Rs. 51.71 Cr. **Achievement :** Rs. 34.37 Cr. **(66 %)**					**Margin Money Half Year Target :** Rs. 25.85 Cr. **Achievement :** Rs.11.62 Cr. **(45%)**				

Scheme			**F.Y. 2019-20**				**F.Y. 2020-21**			
			Target	**Sanctioned**	**Disbursed**	**Progress %**	**Target**	**Sanctioned**	**Disbursed**	**Progress %**
SCP	SC		1463	1082	1065	**74**	732	774	748	**106**
	ST		100	96	96	**96**	100	70	47	**70**
	Minority		225	92	84	**41**	177	78	77	**44**
	Total		1788	1270	1245	**71**	1009	922	872	**91**
NULM			1000	797	797	**80**	772	1084	1081	**140**
NRLM			7610	8089	7077	**106**	9740	9644	--	**99**
PM SVANidhi			--	--	--	**--**	25000	9548	8873	**38**
PMEGP			1318	1840	1439	**140**	1326	2627	2273	**198**
			Margin Money Target Rs. 39.77 Cr. **Achievement :** Rs. 34.00 Cr. **(86 %)**				**Margin Money Target :** Rs. 39.77 Cr. **Achievement :** Rs.45.19 Cr. **(114%)**			

पी.एम. स्वनिधि **(PMSVANidhi) :**

पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत 2nd एवं 3rd tranche में अब e-KYC करने की आवष्यकता नही हैं। 2nd एवं 3rd tranche के आवेदन सम्बन्धित बैंक षाखाओं को New Loan Application में प्रदर्षित होगा।

(ख) <u>राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति **(F.Y. 2022-23)**</u> :

दिनांक 25.08.2022 को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित एस.एल.बी.सी. की 82वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि समस्त बैंक विभिन्न योजना अंतर्गत उन्हे आवंटित वार्षिक लक्ष्य का 75 प्रतिषत ऋण आवेदन पत्र <u>स्वीकृत / वितरण</u> का लक्ष्य माह दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त करेंगे।

इस संदर्भ में समस्त सम्बन्धित विभाग योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का 150 प्रतिषत ऋण आवेदन पत्र, बैंक षाखाओं को प्रेषित करना सुनिष्चित करेंगे।

Scheme			**F.Y. 2021-22**					**01.04.22 to 30.09.22**				
			Target	**Received**	**Sanctioned**	**Disbursed**	**Progress %**	**Half Year Target**	**Received**	**Sanctioned**	**Disbursed**	**Progress %**
VCSGSY	Vehicle	6	150	178	117	106	**78**	75	218	131	**127**	**175**
	Non Vehicle	6	100	133	56	50	**56**	50	141	44	**43**	**88**
Home Stay		7	200	338	125	124	**62**	100	288	81	**81**	**81**
MSY		8	5100	13072	5583	4277	**109**	3000	7626	2592	**1735**	**87**
MSY – NANO		9	---	3867	1024	586	---	5000	3273	1168	**782**	**23**

Scheme			**F.Y. 2019-20**				**01.04.20 to 30.09.21**			
			Target	**Sanctioned**	**Disbursed**	**Progress %**	**Target**	**Sanctioned**	**Disbursed**	**Progress %**
VCSGSY	Vehicle		147	140	125	**95**	147	137	**132**	**93**
	Non Vehicle		153	53	49	**35**	153	60	**55**	**39**
Home Stay			--	115	76	**--**	--	128	**128**	**--**
MSY			--	--	--	**--**	1500	3866	**3064**	**258**
MSY – NANO			--	--	--	**--**	--	--	**--**	**--**

- <u>स्पेषल कम्पोनेन्ट प्लान योजना **(SCP – SC, ST & Minority)** :</u>

समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा विभाग को निर्देषित किया गया कि योजना अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र निजी बैंकों को भी प्रेषित करें।

- <u>स्वंय सहायता समूहों **(SHGs)** का बैंक लिंकेज कार्यक्रम :</u>

राज्य में 44151 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं तथा इनमें से 73 प्रतिषत एस.एच.जी. का क्रेडिट लिंकेज नही कराया गया है। जिन स्वयं सहायता समूहों को सी.सी.एल. प्रदान की गयी है, उनके द्वारा सी.सी.एल. का समुचित उपयोग नही किया जा रहा है।

- <u>केन्द्र एवं राज्य सरकार की ऋण योजनाओं में **overlapping**</u> **:**

अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पी.एम. स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) में overlappling की स्थिति प्रदर्षित हो रही है।

एजेण्डा संख्या – 3 :

(क) ऋण योजनावायें – एन.पी.ए. :

As on 30th September, 2022 **(Amt. in Cr.)**

S. No.	NAME OF SCHEME	Total Outstanding		Gross NPA		As on 30.09.22
		No.	Amount	No.	Amount	Gross NPA%
1	PMEGP	6447	17448.59	1097	2360.23	**13.53**
2	NULM	3819	3440.13	806	551.53	**16.03**
3	NRLM	16016	7363.31	2058	1039.72	**14.12**
4	MSME	269025	20139.69	46043	1892.39	**9.40**
5	Agriculture	904482	13276.51	91676	1595.19	**12.02**
6	PMAY	6508	754.07	132	12.43	**1.65**
7	Home Stay	273	77.22	22	2.18	**2.82**
8	Stand Up India	1462	232.42	217	52.60	**22.63**

बैंकों में एन.पी.ए. की स्थिति चिन्ताजनक है तथा बैंकिंग को संपोषणीय (sustainable) बनाने हेतु समस्त सम्बन्धित बिभागों से आग्रह है कि वे बैंक के एन.पी.ए. खातों में वसूली हेतु बैंकों का सहयोग एवं सार्थक प्रयास करें, जिससे कि बैंक षाखायें सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण वितरण हेतु उत्साहित हों।

- बैंक स्थानीय स्तर पर प्रषासन से समन्वय स्थापित करते हुये बैंक के एन.पी.ए. कम करने का प्रयास करें।
- बैंक तहसील से आर.सी. का मिलान करें तथा ऋण राषि की वसूली करने हेतु अमीनों से सहयोग प्राप्त करें।

(ख) लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (**R.C.**) :

Progress as on 30.09.2022 **(Amt. in lacs)**

Sr.	District	RCs Pending								Total RCs Pending		Recovery agt. RC 01.04.22 to 30.09.22		% Recovery agt. RC lodged
		Less than 1 Year		1 to 3 Years		3 to 5 Years		More than 5 Years						
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
1	Dehradun	3549	6193.08	1043	1285.75	1358	725.58	466	493.43	6401	8672.67	415	282.22	3.25
2	Haridwar	267	178.77	467	312.85	334	223.46	267	178.80	1726	1528.46	387	629.32	41.00
3	Pauri	639	472.23	539	349.11	63	93	22	28.40	1241	914.02	99	82.26	9.00
4	Almora	894	609.27	373	406.95	147	113.40	103	36.80	1517	1166.42	105	89.72	3.30
5	Bageshwar	87	67.65	15	2	0	0	0	0	102	69.65	67	58.38	45.61
6	Champawat	159	121	215	104.22	301	142.08	177	132.01	856	460.79	123	29.26	21.75
7	Nainital	176	279.37	184	139.80	23	31.32	0	0	383	450.51	92	90.16	20.01
8	Pithoragarh	716	426.05	919	509.53	933	430.69	167	117.13	2735	1483.40	176	105.36	7.10
9	Chamoli	163	75	340	162	146	88	97	141	746	465	76	21	4.56
10	Rudraprayag	199	114.30	153	144.94	120	99.04	38	8.36	520	326.31	51	88.27	27.05
11	Tehri	2713	3571.16	274	267.88	200	284.28	267	197.57	3410	4303.05	86	25.18	54.04
12	US Nagar	458	754.29	448	649.31	102	131.55	0	0	824	1122.72	197	389.65	25.00
13	Uttarakashi	1036	1046.62	841	615.36	393	128.47	213	32.22	2483	1822.67	175	138.33	7.59
TOTAL		**11056**	**13908.79**	**5811**	**4949.70**	**4120**	**2490.87**	**1817**	**1365.72**	**22944**	**22785.67**	**2049**	**2029.11**	**8.91**

- बैंक, राजस्व विभाग से लम्बित रिकवरी सर्टिफिकेट (आर.सी.) अन्तर्गत वसूली में षासन से सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

एजेण्डा संख्या – 4 :

(i) वित्तीय समावेषन **:**

NSFI के मुख्य कार्यबिन्दु निम्न हैं :

(क) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग :

दिनांक 30/09/2022 तक Business Correspondent विषयक प्रगति निम्नवत है :

(Annex. – 10)

	Total No. of B.C..	Active B.C.	In-Active B.C.	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
As on 30.09.22	3867	3489	378	2533	1334
As on 31.03.22	3686	3317	369	2258	1428

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा Liability led Business Model के अंतर्गत कार्य करने वाले सी.एस.पी. की संख्या अपनी रिपोर्ट में प्रदर्षित की जाती है।

(ख) (i) कॉमन सर्विस सेन्टर को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करना :

- सी.एस.सी. ई–गर्वनेन्स से सी.एस.पी., जो सी.एस.सी. का कार्य कर रहे हैं, की सूची प्राप्त की गयी है, जिसमें 1387 सी.एस.पी., सी.एस.सी. का कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 796 एक्टिव हैं तथा 591 इन–एक्टिव हैं।
- सी.एस.सी. ई–गर्वनेन्स से अवषेष सी.एस.सी. की सूची उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया है। उक्त सूची प्राप्त होने के उपरांत, बी.सी. इन्रोल करने हेतु यह सूची बैंकों को प्रेषित की जायेगी।

(ii) **Fair Price Shop** को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करना :

- सी.एस.सी. ई–गर्वनेन्स से Fair Price Shop की सूची प्रेषित करने हेतु आग्रह किया गया है। उक्त सूची प्राप्त होने के उपरांत, बी.सी. इन्रोल करने हेतु यह सूची बैंकों को प्रेषित की जायेगी।

(iii) बैंक सखी को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करना :

- ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थाई समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में कार्यरत बैंक सखी को भी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान किये जा सकते है।

(ग) बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गांव :

- भोपाल में आयोजित केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council) की बैठक दिनांक 22.08.2022 में विचारणीय 05 कि0मी0 परिधि के अंतर्गत राज्य के 103 गांव में बैंकिंग सेवाओं के सम्बन्ध में श्रीमती अनुराधा प्रसाद, सचिव, अंतर–राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन को सम्बोधित अर्द्धषासकीय पत्र में वर्णित राज्य के 103 गांव, जो कि 05 कि0मी0 परिधि के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं से आच्छादित नही हैं, की सूची जिला सहकारी बैंक को इस आषय से प्रेषित की गयी है कि वे इन गांवों में षाखा खोलने की सम्भावनाओं का पता करें तथा तदानुसार Ministry of Cooperation को अवगत करायें तथा पत्र की प्रतिलिपि श्रीमती अनुराधा प्रसाद, सचिव, अंतर–राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी प्रेषित करें।
- Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion / New Branch Opening हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को समस्त बैंकों को अवगत कराया गया कि नई षाखा खोलने हेतु स्थान का चयन दूर दराज पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

(घ) <u>सामाजिक सुरक्षा योजना :</u>

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देषानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (पी.एम.जे.डी.वाई., पी. एम.एस.बी.वाई. एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक खाताधारकों को योजना अंतर्गत आच्छादित किया जाय।

योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए बैंकों द्वारा दिनांक 30.09.22 तक निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(Annex. – 11)

योजना	आच्छादित खातों की संख्या		Increase	Himachal Pradesh (As on 30.06.22)
	As on 30.06.2022	As on 30.09.2022		
पी.एम.जे.डी.वाई खाता संख्या (PMJDY)	30,97,660	31,59,504	61,844	17,57,000
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	22,50,617	23,85,330	1,34,713	18,41,000
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	5,67,774	5,95,833	28,059	5,72,000
अटल पेंषन योजना (APY)	4,64,840	5,07,324	42,484	3,11,166

(**Source** : F.I. Plan Portal - PMJDY, Banks - PMSBY, PMJJBY, PFRDA , PFRDA - APY)

Source : Himachal Pradesh का डाटा SLBC India Portal से लिया गया है।

पी.एम.जे.डी.वाई. खातों की संख्या F.I. Plan Portal से तथा पी.एम.एस.बी.वाई., पी.एम.जे.जे.बी.वाई. के आंकड़े बैंकों से एवं ए.पी.वाई. के आंकड़े PFRDA से प्राप्त किये गये हैं। उपरोक्त आंकड़ों में पी.एम.जे.डी.वाई. खाताधारकों के अतिरिक्त अन्य खाताधारकों के आंकड़े भी पी.एम.एस.बी.वाई. एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई. योजना अंतर्गत सम्लित हैं।

नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में वित्तीय समावेषन बढ़ाने हेतु नुक्कड़ नाटक, वित्तीय साक्षरता डिजीटल कार्यक्रम, POD/mPOS, Positive Pay and Handheld Projector हेतु रु. 2.61 करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

<u>Financial Inclusion Data as on 30.09.2022</u> :

(Annex. – 12)

Sr.	Particulars	Number
1	PMJDY A/c	3159504
2	Zero Banlance A/c	212499
2	Rupay Card Issued	2148053
3	% of Rupay Card	67.99%
4	Aadhar Seeded	2483347
5	% of Aadhar Seeding	78.60%

(Source : FI Plan Portal)

(ङ) <u>जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान</u> :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देषानुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत ऋणियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) अंतर्गत आच्छादित किया जाना है।

पी.एम.एम.वाई. खाताधारकों को सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आच्छादित खातों की प्रगति का विवरण निम्नवत है :

Progress under PMMY A/C As on 30.09.22 :

	PMJJBY			PMSBY		
	No. of Eligible PMMY A/C	Total Enrolled till date	Coverage %	No. of Eligible PMMY A/C	Total Enrolled till date	Coverage %
Uttarakhand (30.09.22)	68396	16263	24	81485	32016	39
Himachal Pradesh (30.06.22)	44030	7997	18	53942	19261	35

(Source of Data : Jan Suraksha Portal)

(च) <u>वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC)</u> :

राज्य में 16 वित्तीय साक्षरता केन्द्र कार्यरत हैं, जिनकी दिनांक 30.09.2022 की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत है :

Sr. No.	District	FLC Trainer	Name of Sponsoring	FLC Manager				Rural Branches	
				No. of Sepcial Camps	participant	No. of specific Camps	Participants	Camps	
1	Uttarkashi	LDM	SBI	6	139	15	393		226
2	New Tehri	LDM	SBI	6	121	23	530		185
3	Chamoli	LDM	SBI	5	166	16	472		87
4	Champawat	LDM	SBI	5	154	15	952		188
5	Bageshwar	LDM	SBI	9	282	13	396		96
6	Pithoragarh	LDM	SBI	12	335	13	369		240
7	Rudraprayag	LDM	SBI	6	207	28	602		32
8	Pauri	LDM	SBI	8	216	15	336		392
9	Almora	LDM	SBI	10	142	13	243		139
10	Dehradun	Hired Trainer	PNB	5	127	24	842		102
11	Haridwar	Hired Trainer	PNB	6	177	15	482		186
12	Nainital	Hired Trainer	BOB	13	439	28	813		267
13	US Nagar	Hired Trainer	BOB	7	223	13	308		147
14	Tehri	Hired Trainer	UGB	9	101	4	99	Rural Camps	**2287**
15	Nainital	Hired Trainer	UGB	6	385	16	485	Special Camps	119
16	US Nagar	Hired Trainer	UGB	6	167	17	653	Specific Camps	268
	TOTAL			**119**	**3381**	**268**	**7975**	**Total Camps**	**2674**

- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा सितम्बर त्रैमास, 2022 में **2674** कैम्पों का आयोजन वित्तीय साक्षरता हेतु किया गया है, जिसमें **11356** प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।
- राज्य में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों हेतु प्रायोजित बैंकों द्वारा उचित स्थान उपलब्ध कराया जाय, जिससे वित्तीय साक्षरता केन्द्रों में प्रषिक्षक को कार्य करने में सुविधा हो।

<u>Village Level Programmes (VLPs) NABARD</u> :

- क्षेंत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु, सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु, स्वंय सहायता समूहों को प्रषिक्षण प्रदान करने हेतु तथा ग्रामीण स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने हेतु नाबार्ड रु. 2,000/— की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ii). <u>Expanding and Deepening of Digital Payments EcoSystem (District : Almora & Chamoli)</u> :

अल्मोड़ा जिले में दिसम्बर, 2019 से डिजीटाईजेषन का कार्य प्रारम्भ किया गया था। द्वितीय जिले के रुप में चमोली जिले का डिजीटाईजेषन हेतु दिसम्बर, 2021 में चयन किया गया था। 100 प्रतिषत डिजीटाइजेषन के अंतर्गत दिनांक 30/09/2022 तक की प्रगति निम्नवत है :

		June, 2022		September, 2022	
		Almora	**Chamoli**	**Almora**	**Chamoli**
Digital Coverage for Individual (SB Accounts)	Total No. of Eligible operative SB A/c covered with atleast one of the facilities Debit/RuPay cards/Net Banking/Mobile banking/UPI/USSD/AEPS etc.	698633	365120	705730	441709
	% of Eligible Operative A/c digitally covered (with at least one of the facilities) out of total Operative Savings Accounts	99	82	99	84
Digital Coverage for Business (Current Accounts)					
	Total No. of Eligible Operative Current/Business A/c covered with atleast one of the facilities – Net Banking/POS/QR/Mobile Banking etc.	7846	2922	8230	6869
	% of Eligible Operative A/c digitally covered (with atleast one of the facilities) out of total operative Current/Business A/c	93	58	96	67

चमोली जिले में योग्य प्रचलित बचत खातों को डिजीटली आच्छादित करने का प्रतिषत त्रैमास जून, 2022 में 82 प्रतिषत था, जो कि त्रैमास सितम्बर, 2022 में 84 प्रतिषत हुआ है।

अल्मोड़ा तथा चमोली जिले में योग्य प्रचलित चालू खातों को डिजीटली आच्छादित करने का प्रतिषत त्रैमास जून, 2022 में क्रमषः 93 एवं 58 प्रतिषत था, जो कि त्रैमास सितम्बर, 2022 में 96 एवं 67 प्रतिषत हुआ है।

- दिनांक 16.10.22 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में दो डिजीटल बैंकिंग यूनिट का षुभारम्भ किया गया।
- पहला डिजीटल बैंकिंग यूनिट आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा ई.सी. रोड, सूर्य प्लाजा, देहरादून में खोला गया।
- दूसरा डिजीटल बैंकिंग यूनिट एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा योग विहार, देवपुरा, हरिद्वार में खोला गया।

दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में next phase में 4G कनेक्टिविटी से संतृप्त करने विषयक जिलेवार विवरण निम्नवत है :

क्र. सं.	जिला	गांवों की संख्या
1	अल्मोड़ा	28
2	बगेष्वर	97
3	चमोली	124
4	चम्पावत	104
5	देहरादून	57
6	पौड़ी	196
7	हरिद्वार	06
8	नैनीताल	60
9	पिथौरागढ़	245
10	रुद्रप्रयाग	20
11	टिहरी गढ़वाल	114
12	उधम सिंह नगर	3
13	उत्तरकाषी	149
	योग	**1203**

विभाग द्वारा आष्वासन दिया गया है कि उक्त कार्य 500 दिनों में पूर्ण कर दिया जायेगा।

<u>एजेण्डा संख्या – 5</u> :

<u>वार्षिक ऋण योजना 2022–23 एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि</u> :

<u>बिगत 3 वर्षो की वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि</u> :

(Amt. in Cr.)

F.Y.	Crop Loan			Term Loan			Farm Sector			Non Farm Sector (MSME)			Other Priority Sector			Total PSA		
	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age
As on 30.09.22	7334	2455	33	5217	1978	38	12551	4433	35	11995	7231	60	4115	1618	39	28661	13282	46
2021-22	7181	5208	**73**	5118	3631	**71**	12298	8839	**72**	10454	10055	**96**	3859	2378	**62**	26611	21272	**80**
2020-21	7952	4098	**52**	5271	2396	**45**	13222	6493	**49**	8851	8624	**97**	3721	1177	**32**	25794	16294	**63**
2019-20	6806	4920	**72**	3579	3173	**89**	10385	8094	**78**	8031	8372	**104**	3595	1827	**51**	22011	18294	**83**

बिगत 3 वर्षो में राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक है।

एजेण्डा संख्या – 6 :

ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) :

राज्य का ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) 52 **%** है।

(Amt. in Cr.)

Sr.	COMPONENTS	As on 31.03.20	As on 31.03.21	As on 31.03.22	As on 30.09.22
1	Advances from Banks (Within State)	62397.00	66466.00	72958	78745
2	Advances from Banks (utilized in the state but sanctioned from outside the State)	10501.00	10758.00	9929	9472
3	RIDF	7393.00	7920.00	8507	8599
4	Total Advance (1+2+3)	80291.00	85143.00	91394	96816
5	Total Deposits	141234.00	159856.00	176555	184133
Credit Deposit Ratio (CDR) in Uttarakhand as on 30th June, 2022		**57%**	**53%**	**52%**	**52%**

- राज्य के समस्त जिलों के विभिन्न बैंकों में राज्य सरकार का रु. 20272.83 करोड़ जमा है, जिस कारण राज्य का ऋण जमा अनुपात अपेक्षकृत कम है।
- बिगत 3 वर्षो में ऋण–जमा अनुपात कम हो रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में बैंक जमा राषि में रु. 18622.00 करोड (13 प्रतिषत) की बृद्धि हुयी है तथा ऋण राषि में रु. 4852.00 करोड़ (6 प्रतिषत) की बृद्धि हुयी है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में बैंक जमा राषि में रु. 16699.00 करोड़ (10 प्रतिषत) की बृद्धि हुयी है तथा ऋण राषि में रु. 6251.00 करोड़ (7 प्रतिषत) की बृद्धि हुयी है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 30.09.2022 में बैंक जमा राषि में रु. 7578.00 करोड़ (4 प्रतिषत) की बुद्धि हुयी है तथा ऋण राषि में रु. 5422.00 करोड़ (6 प्रतिषत) की बृद्धि हुयी है।

विगत 3 वर्षो में ऋण जमा अनुपात 57 प्रतिषत से घटकर 52 प्रतिषत हो गया है, जिसका मुख्य कारण जमा राषि में ऋण राषि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक बृद्धि हुई है।

यदि राज्य सरकार की जमा राषि रु. 20272.83 करोड कम की जाती है, तो राज्य का ऋण जमा अनुपात 59 प्रतिषत आता है। एस.एल.बी.सी. का सुझाव है कि राज्य सरकार की जमा राषि को ऋण जमा अनुपात की गणना में षामिल न किया जाय।

राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु नये इन्डस्ट्रियल पार्क बनाये जांय, जहां पर एस.एम.ई. ऋण प्रदान किये जा सकें।

जिलेवार ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) निम्नवत है :

(Rs. in Cr.)

Sr.	District	No. of Branch	FY 2019-20	FY 2020-21			FY 2021-22			As on 30.09.22		
			C.D. Ratio%	Total Deposite	Total Advances	C.D. Ratio %	Total Deposite	Total Advances	C.D. Ratio %	Total Deposite	Total Advances	C.D. Ratio %
1	**Dehradun**	582	41	64178	24215	**38**	**72179**	**25330**	**35**	**75565**	**27576**	**36**
2	Uttarkashi	69	42	2578	1123	44	2459	1276	52	2553	1225	48
3	Hardwar	288	79	22416	16875	75	24313	16076	66	25444	17004	67
4	**Tehri**	145	26	5845	1820	**31**	**5958**	**1928**	**32**	**6260**	**2113**	**34**
5	**Pauri**	207	24	10038	2458	**24**	**10159**	**2682**	**26**	**10487**	**2712**	**26**
6	Chamoli	101	75	3847	2731	**71**	4112	2883	70	**4357**	**2771**	**64**
7	**Rudra Prayag**	54	23	2195	545	**25**	**2284**	**643**	**28**	**2506**	**665**	**27**
8	**Almora**	152	23	6185	1459	**24**	**7120**	**1858**	**26**	**7210**	**1762**	**24**
9	**Bageshwar**	56	27	2002	520	**26**	**2185**	**575**	**26**	**2249**	**500**	**22**
10	Pithoragarh	109	43	4840	2026	**42**	5167	2350	45	**5264**	**2228**	**42**
11	**Champawat**	65	27	2506	732	**29**	**2669**	**894**	**34**	**2639**	**924**	**35**
12	Nainital	264	43	17553	7352	42	**20393**	**5364**	**41**	**21403**	**10223**	**48**
13	U S Nagar	344	113	15674	15370	98	17556	18028	103	18193	18512	102

- जिलों के ऋण जमा अनुपात में outside finance अग्रिम में जोड़ा गया है।

- राज्य के उत्तरकाषी, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिषत से अधिक है।
- जिला देहरादून की बैंक षाखाओं में राज्य सरकार की धनराषी जमा है, जिस कारण भी जिला देहरादून का ऋण जमा अनुपात कम है।
- षासन से आग्रह है कि वे एम.एस.एम.ई. ऋण बढ़ाने हेतु इन्डस्ट्रियल पार्क बनायें, जिससे उत्तराखण्ड राज्य में ऋण प्रतिषत बढ़ाया जा सके।

<u>एजेण्डा संख्या – 7</u> :

<u>किसानो की आय दोगुना करना</u> :

(क) <u>कृषि अवसंरचना निधि **(Agriculture Infrastructure Fund)**</u> :

उक्त योजना अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य हेतु रु. 785.00 करोड़ का बजट घोषित किया गया है, जिसके सापेक्ष निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है : **(Annex. – 13)**

Progress as on 02.11.2022 **(Amt. in Cr.)**

Target 2020-23	Applications Received		Denied by Central PMU		Rejected Central PMU		Verified by Central PMU		Sanctioned		Disbursed		Pending	Sanction %
	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	No.
314.00	203	140.41	35	37.26	65	26.17	12	4.01	91	72.97	59	32.19	32	45.81

(Source of Data : Directorate Agr.)

उक्त योजना विषयक कृषि विभाग द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है :

- कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–23 हेतु **रु. 314.00 करोड़** का बजट निर्धारित है।
- **राज्य स्तर पर Project Management Unit (PMU) का गठन की कार्यवाही गतिमान है।**
- उक्त योजना अंतर्गत वितरण हेतु 32 ऋण आवेदन पत्र बैंकों में निम्नवत लम्बित हैं :
  पंजाब नेषनल बैंक – 19, बैंक ऑफ बड़ौदा – 5, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया – 2, बैंक ऑफ इण्डिया – 2, भारतीय स्टेट बैंक – 1, केनरा बैंक – 1, एच.डी.एफ.सी. बैंक – 1, चमोली जिला सहकारी बैंक – 1
- व्यक्तिगत एफ.पी.ओ., पैक्स एस.एल.जी., एफ.पी.ओ. फेडरेषन, स्टेट लेबल फेडरेषन ऑफ कॉपरेटिब द्वारा कम्युनिटी फार्मिंग एसिस्टस हेतु फार्म/हारबेस्ट ऑटोमेषन, ड्रोन खरीदने एवं रिमोट सेन्सिंग सम्मिलित किये गये हैं।
- व्यक्तिगत एफ.पी.ओ., पैक्स एस.एल.जी., एफ.पी.ओ. फेडरेषन, स्टेट लेबल फेडरेषन ऑफ कॉपरेटिब द्वारा कम्युनिटी फार्मिंग एसिस्टस हेतु Hydroponic Farming, Mushroom Farming, Vertical Farming, Aeroponic Farming, Poly house/Green house को सम्मिलित किया गया है।
- राज्य में जिला सहकारी बैंक एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक CGTMSE के सदस्य न होने के कारण उक्त बैंक इस योजना में ऋण नही कर पा रहे हैं।

नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि बैंकों में उक्त योजना अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण के निम्नवत कारण हैं :

- डी.पी.आर. का अपूर्ण होना अथवा योजना अंतर्गत गतिविधियों का योग्य न होना।
- भूमि का किसी अन्य गतिविधि हेतु पूर्व में लिये गये ऋण हेतु बन्धक होना। बैंक सर्कुलर के अनुसार उक्त योजना अंतर्गत परियोजना हेतु भूमि विषेष रुप से गिरवी के लिए होनी चाहिए।

- प्रमोटर का अपूर्ण विवरण, गतिविधियों का वर्णन न होना तथा वांछित पत्रों को जमा न करना।

विभाग से आग्रह है कि वे उपरोक्त गतिविधियों में AIF अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करें, जिससे कि अधिक से अधिक ऋण उक्त योजना अंतर्गत प्रदत्त किये जा सके।

(ख) **किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान (KCC saturation Campaign) :**

पी.एम. किसान सम्मान लाभार्थी :

पी. एम. किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करने हेतु दिनांक 08.02.2020 से संतृप्तता अभियान चलाया जा रहा है।

KCC – Animal Husbandry and Fisheries योजना अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्र विभाग द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धकों को प्रेषित किये जाते हैं तथा अग्रणी जिला प्रबन्धक ऋण आवेदन पत्रों की जांच कर जन सुरक्षा पोर्टल में डाटा अपलोड करते हैं।

पषुपालन एवं डेयरी विभाग, पषुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पषुपालन एवं मत्स्यपालन किसानों के लिए दिनांक 15.09.2022 से 15.03.2023 तक पुनः AHDF KCC संतृप्तता अभियान प्रारम्भ किया गया है।

(i) KCC – Animal Husbandry :

Progress	No. of applications received	No. of applications Accepted	No. of applications Sanctioned	Applications Rejected / Returned	Applications Pending
As on 30.06.22	12933	12652	4699	6252	1701
As on 30.09.22	49871	49612	30876	9265	9212

(Source of Data :– Jan Surksha portal)

(ii) KCC – Fisheries :

Progress	Applications received	Applications Accepted	No. of applications Sanctioned	Applications Rejected / Returned	Applications Pending
As on 30.06.22	321	320	174	85	61
As on 30.09.22	1198	1197	642	194	362

(Source of Data :– Jan Surksha portal)

- जन सुरक्षा पोर्टल में के.सी.सी.–पषुपालन एवं मत्स्य पालन की प्रगति निम्नलिखित 15 बैंकों द्वारा दर्ज की जाती है :
  भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेषनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जिला सहकारी बैक, आई.डी.बी.आई. बैंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओबरसीज बैंक, जे. एण्ड के. बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक, यू.बी.आई.।

(ग) भूलेख पोर्टल :

उत्तराखण्ड राज्य में समस्त जिलों की खसरा खतौनी भू–लेख पोर्टल पर दर्ज कर दी गयी है। भूमि का नक्षा बनाने का कार्य राज्य के दो जिलों (अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल) में पूर्ण हो गया है तथा अवषेष जिलों में कार्य प्रगति पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला हरिद्वार के लक्सर तहसील के अंतर्गत बैंक में बन्धक भूमि से सम्बन्धित ऋण खाता बन्द किये बिना, भूमि का बिक्रय किया गया है तथा क्रेता की खसरा खतौनी में अंकित किया गया है कि क्रय की गयी भूमि पर ऋण अदायगी तक ऋण पूर्व की भांति यथावत रहेगा।

(घ) नाबार्ड के कार्य बिन्दु :

<u>Credit access to the FPOs</u> :

CSS FPOs की प्रगति निम्न है :

Particulars	NABARD CSS FPO Progress	SFAC	NCDC	NAFED	TRIFED	Total
Total CSS FPO Sanctioned	31	40	26	22	2	121
DMC approval	31	39	17	7	0	94
Registration	29	22	22	4	2	79
Bank account opened	27	25	5	6	0	63
Hilly FPOs	24	NA	14	NA	0	38
FPOs in Aspirational Districts	4	NA	6	1	1	12
Total	**146**	**126**	**90**	**40**	**5**	**407**

मात्र 63 FPOs का बैंक खाता खोला गया है। बैंक नियंत्रकों से आग्रह है कि योग्य FPOs का क्रेडिट लिंकेज करवायें।

किसान उत्पादक संगठनों के कम संख्या में क्रेडिट लिंकेज के निम्नवत कारण हैं :

- जिला स्तर एवं षाखा स्तर पर किसान उत्पादक संगठन एवं उनके क्रियाकलापों विषयक जागरुकता का अभाव।
- सम्पार्ष्विक प्रतिभूति की अपर्याप्तता तथा ऊॅंची ब्याज दर पर ऋण उपलब्धता के कारण।

किसान उत्पादक संगठनों के क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने हेतु निम्नवत कार्य किये जाने चाहिए :

- कृषि विभाग द्वारा क्षेत्र में कार्यरत स्टाफ, नाबार्ड एवं बैंक से समन्वय कर कार्यषाला आयोजित की जानी चाहिए।
- बैंक, किसान उत्पादक संगठनों को ऋण प्रदान करते हुये क्रेडिट गारंटी फण्ड की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
- किसान उत्पादक संगठनों/किसान उत्पादक कम्पनियों (FPOs/FPCs) को कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के अंतर्गत कवर किया जा सकता है।

<u>Off Farm Sector Development</u> :

(क) <u>ग्रामीण हाट</u> :

ग्रामीण हाट के साप्ताहिक बाजार में स्थान आवंटन हेतु षासन /प्रषासन द्वारा प्रावधान किया जाता है। नाबार्ड की ग्रामीण हाट योजना अंतर्गत योग्य एजेंसीज प्रस्ताव प्रेषित कर सकती है।

(ख) <u>कौषल विकास</u> :

आरसेटी, बैंक एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कौषल विकास कार्यक्रम हेतु नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता हेतु संस्थाओं को पूर्व में आवेदन करना होता है।

<u>एजेण्डा संख्या – 8</u> :

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान **(RSETIs)**</u> :

(i) <u>Performance of RSETIs</u> :

As on	Target		Achievement			Out of Settled		Out of Settled under Self Employment		% of Settlement & Credit Linkage	
	No. of Programmes	No. of Candidates	No. of Programmes Conducted	No. of Candidates Trained	No. of Candidates Settled	Self Employment	Wage Employment	With Bank Finance	With Self Finance	% of Settled to Trained	% of Credit Linkage to Self Employment
30.09.22	148	3766	132	3493	1449	1447	02	833	614	41	57
31.03.22	266	6715	233	6258	4414	4407	07	3162	1345	71	72
31.03.21	266	6895	238	6383	3346	---	---	---	----	---	----

(Source of Data : Director RSETIs)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के द्वितीय त्रैमास तक आरसेटी संस्थाओं द्वारा 132 प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 3493 प्रषिक्षणार्थियों को प्रषिक्षण प्रदान किया गया है। प्रषिक्षण प्राप्त 1449 प्रषिक्षणार्थी settled हुये हैं। 833 प्रषिक्षणार्थियों ने बैंकों से ऋण प्राप्त कर व्यवसाय प्रारम्भ किया है तथा 614 प्रषिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं के साधनो से अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य के कौषल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नानुसार प्रषिक्षण प्रदान किया गया :

Particular	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Grand Total
Entreprenership & Employment Linked Skill Training Programme (ELSTP)	309	136	31	59	56	--	57	648
Uttarakhand Work Force Development Project (UKWDP) Phase - 2	927	983	1240	1739	283	411	480	6063
Grand Total	**1236**	**1119**	**1271**	**1798**	**339**	**411**	**537**	**6711**

<u>एजेण्डा संख्या – 9</u> :

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)</u> :

प्रदेष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) तथा पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को मौसम खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 से 03 वर्ष हेतु लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गयी थी।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) मौसम रबी 2022–23 अंतर्गत राज्य अधिसूचना के अनुसार फसल गेहूं व मसूर का बीमा आच्छादन करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर, 2022 है व भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर सम्बन्धित सूचना entry/upload करने के साथ PayGov के माध्यम से प्रीमियम राषि प्रेषित करने की अंतिम तिथि 30 दिसम्बर, 2022 है।
- पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) मौसम रबी 2022-23 अंतर्गत राज्य अधिसूचना के अनुसार फसल सेब, आडू, माल्टा, मौसम्बी, संतरा, आम, लीची, आलू, टमाटर व मटर का बीमा आच्छादन करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2022 है व भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर सम्बन्धित सूचना entry/upload करने के साथ PayGov के माध्यम से प्रीमियम राषि प्रेषित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2023 है।

  समस्त बैंक उपरोक्तानुसार बीमा आच्छादन करें।

Agriculture Insurance Co. of India Ltd. द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में फसल बीमा योजना अंतर्गत निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राषि का भुगतान किया गया है :

Progress as on 30.09.2022 **(Amt. in lacs)**

Scheme	Farmers Covered	Farmers Premium	Claim Amt.	Benefitted Farmers
PMFBY Rabi 2021-22	36485	87.38	200.64	10016

(Source of Data : AIC)

कृषि निदेषालय, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) अंतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(राषि लाख में)

योजना	मौसम	बीमित कृषक			बीमित क्षेत्रफल (हे.में)	बीमित धनराषि	कृषकांष	कुल प्रीमियम धनराषि
		ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	योग				
PMFBY	खरीफ 2022	35067	23277	58344	11799.45	7789.74	155.79	311.84
RWBCIS		64076	13835	77911	46230.03	37413.73	1870.69	8812.25
योग		**99143**	**37112**	**136255**	**58029.48**	**45203.47**	**2026.48**	**9124.09**

ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2022 में समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया था कि जिन किसानों द्वारा opt out फार्म भरकर बैंक षाखा में जमा नही किया जाता है, उनकी फसल का बीमा अनिवार्य रुप से किया जाय।

<u>एजेण्डा संख्या – 10</u> :

(i) <u>उद्यम रजिस्ट्रेषन :</u>

- दिनांक 13.10.2022 को आयोजित अवस्थापना बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में एक लाख से अधिक उद्यम रजिस्ट्रेषन किये जा चुके हैं।
- प्राथमिक श्रेणी में एम.एस.एम.ई. ऋण का वर्गीकरण उद्यम रजिस्ट्रेषन पर निर्भर करेगा।
- बैंकों से आग्रह है कि वे अपने एम.एस.एम.ई. खाताधारकों को सूचित करें कि वे अनिवार्य रुप से उद्यम रजिस्ट्रेषन करवायें।

(ii) <u>ग्रीन फाईनेन्सिंग</u> :

<u>Progress of Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojna (MSSY) as on 30.09.2022 :</u>

Backlog	Applications sent to Bank	Returned	Rejected	Sanctioned	Disbursed	Pending
55	467	150	179	160	123	33

(Source : MSY Portal)

- योजना अंतर्गत सौर उर्जा परियोजना हेतु रु. 25.00 लाख तक का प्रावधान है, जिसे बढ़ाये जाने की आवष्यकता है।
- **अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में उरेडा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अंतर्गत परियोजना हेतु निर्धारित अधिकतम ऋण राषि रु. 10.00 लाख को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।**

<u>एजेण्डा संख्या – 11</u> :

<u>बाजार की बुद्दिमत्ता (Market Intelligence)</u> :

(i) अग्रणी जिला प्रबन्धक, उत्तरकाषी द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है :

जिला उत्तरकाषी में जन षक्ति मल्टी परपज को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि0 के सम्बन्ध में श्री रमेष जगूड़ी, निवासी तिलोथ बैण्ड द्वारा जिलाधिकारी, उत्तरकाषी को निम्नवत षिकायत दर्ज की गयी है :

- उक्त सोसाईटी के उत्तरकाषी जनपद में निम्नवत खाते हैं, जिन्हे जनहित में फ्रिज किया जाय :

1. भारतीय स्टेट बैंक, षाखा भटवाड़ी, उत्तरकाषी खाता सं. 35427641963
2. एक्सिस बैंक, उत्तरकाषी खाता सं. 916020028263140
3. पंजाब नेषनल बैंक, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाषी खाता सं. 6410005900000027
4. इण्डियन बैंक, खाता सं. 50182926836

- सोसाईटी द्वारा जनपद उत्तरकाषी में कई जगह षाखाएं खोली गयी, जिसमें सोसाईटी द्वारा नियुक्त किये गये एजेण्टों द्वारा दैनिक, मासिक, तिमाही, छमाही तथा वार्षिक जमा योजनाओं के अंतर्गत जमायें प्राप्त की जाती हैं। समिति ग्राहकों से आर.डी., दैनिक जमा, एफ.डी., बचत पत्र, एम.आई.एस. के रुप में जमायें प्राप्त करती हैं।
- सोसाईटी जमा कर्ताओं की राषि वापस नही लौटा रही है।
- सोसाईटी के पदाधिकारियों के बिरुद्व थाना लम्बगांव, जिला टिहरी गढ़वाल में प्रथम सूचना सं. 08 / 2022 दर्ज करायी गयी हैं, जिसमें पुलिस द्वारा उनके बिरुद्व भारतीय दंड संहिता की घारा 323, 342, 354, 506, 384 एवं 420 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

जिला अधिकारी, उत्तरकाषी द्वारा उक्त विषयक दिनांक 10.05.2022 को समिति गठित कर जांच सौंपी गयी।

- समिति, केन्द्रीय निबन्धक सहकारी समितियां, नई दिल्ली के द्वारा जनषक्ति मल्टीस्टेट मल्टीपरपज को–आपरेटिव सोसायटी लि0 का निबन्धन मल्टी स्टेट को–आपरेटिव सोसायटी एक्ट 2002 के अधीन दिनांक 26.06.2012 को किया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या MSCS/CR/562/2012 है।
- सोसाईटी के उपरोक्त खातों में दिनांक 13.05.2022 को Stop लगा दिया गया है।
- समिति के पदाधिकारियों द्वारा मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष दायर रिट याचिका सं. 2794 / 2021(M/S) की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी, जो जनषक्ति मल्टी स्टेट मल्टी पर्पज कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी लि. नई दिल्ली के निदेषक श्री पंकज गम्भीर पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार गम्भीर, निवासी Rathi Building, Plot No. 231/18 A, Veena Enclave, Nangloi, New Delhi – 110041 बनाम उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निजी सचिव गृह उत्तराखण्ड सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, षाखा घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल द्वारा षाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, पोखरी, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा षाखा प्रबन्धक एवं जांच अधिकारी वाद सं. 0062 / 2021 P.S. Kapkot बागेष्वर के नाम से दायर की गई है। उक्त याचिका की सुनवाई मा. उच्च न्यायालय के न्यायाधीष श्री मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय में निस्तारित की गई है।
- उक्त याचिका में यह भी कहा गया कि समिति बैंकिंग व्यवसाय कर रही है एवं समिति के बिरुद्व पुलिस थाना कपकोट, बागेष्वर में भारतीय दण्ड संहिता 420, 120 बी तथा Section-3 of Uttaranchal protection of interest of depositors in Financial Establishment act 2005, के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
- उक्त याचिका को निस्तारित करते हुये विद्वान न्यायाधीष ने प्रतिवादी सं.–3, भारतीय स्टेट बैंक, षाखा पोखरी, जिला पौड़ी को आदेषित किया गया है कि वे याचिकाकर्ता (समिति) को मु0 50.00 लाख रु0 दिनांक 06.04.2022 तक तथा उसके बाद मु0 50.00 लाख रु0 छः सप्ताह के अंतर्गत आहरण करने के लिए अनुमति प्रदान करें।

समिति द्वारा संयुक्त सचिव भारत सरकार एवं केन्द्रीय निबन्धक सहकारी समितियां, नई दिल्ली के आदेष पत्रांक R-11017/83/2015-L&M Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Department of Agriculture, coopration and farmers welfare (office of the central registrar of cooperative societies) cooperation division, Kirshi Bhavan, New Delhi, dated 16.09.2015, जो समस्त राज्यों के निबन्धकों को परिपालनार्थ को उपलब्ध कराया गया है। उक्त आदेष में संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय / केन्द्रीय निबन्धक, सहकारी समितियां के द्वारा आदेषित किया गया है कि इस प्रकार की मल्टीस्टेट कॉ–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटीज / मल्टीपर्पज कॉ–ऑपरेटिव सोसाईटीज एक से अधिक राज्यों में कार्यरत होने के कारण इन समितियों को सम्बन्धित राज्यों / केन्द्र षासित प्रदेष के निबन्धकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवष्यकता नही है। (It is clarified that the existing multi-state cooperative credit societies/multipurpose cooperative societies which are having area of operation of the various states are not required to get NOC from the particulars states/UTs which are already approved in the Bye-Laws by the central Registrar of cooperative societies.)

(ii) Ponzi Schemes/Illegal Activities of Unincorporated Bodies/Firms/Companies Soliciting Deposits from Public, as under :

<u>Dhenu Agro Producer Company Limited (DAPCL)</u> :

The case related to a matter wherein an entity called DAPCL, operating from Kanpur was collecting deposits in the form of Recuring Deposits (RD) and Fixed Deposits (FDs) from the public in Haridwar district. The entity later on closed its operation in Haridwar. DIG, CID informed that the accused in the matter remain untraceable. CID was advised to expedite finalization of the case. Chairman, SLCC stressed on publicizing such cases through press media, so that such publicity could act as a deterrent for such fraudsters to perpetrate similar crimes again.

<u>एजेण्डा संख्या – 12</u> :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।